संख्या:78/2015/963जेएल/22-3-15-300(07)/2014

प्रेषक,

आर0के0 द्विवेदी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 27 मार्च, 2015***

विषय: जिला कारागार, मेरठ में निरूद्ध सिद्धदोष/विचाराधीन बंदी अमित पुत्र अशोक के उपचार हेतु रूपये-52,500/-(रूपये बावन हजार, पॉच सौ मात्र) की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-10260/सामा-1(5)/01/2014-ब0चि0जि0का0 मेरठ-अमित, दिनांक 20-03-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा जिला कारागार, मेरठ में निरूद्ध सिद्धदोष/विचाराधीन बंदी अमित पुत्र अशोक के HTN, CAD-Unstable Angina के उपचार हेतु रूपये-52,500/-(रूपये बावन हजार, पॉच सौ मात्र) की धनराशि की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- उक्त बंदी का उपचार जी0बी0 पन्त अस्पताल, नई दिल्ली में ही कराया जायेगा तथा उपचार के उपरान्त यदि कोई धनराशि शेष बचती है तो उसे नियमानुसार राजकोष में जमा करा दी जाय।

3- यह भी सुनिश्चित किया जाय कि प्रश्नगत बंदी का उपचार कारागार विभाग द्वारा कराया जाना उसकी जीवन रक्षा के लिए अपरिहार्य एवं आवश्यक है तथा उक्त बंदी के शीघ्र ही कारागार से रिहा होने की कोई सम्भावना नहीं है।

4- कृपया यह सुनिश्चित करें कि वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमों तथा समय-समय पर जारी शासन के संगत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित किया जाय तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

5- उक्त के निमित्त होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय व्ययक के लेखाशीर्षक-"2056-जेले-आयोजनेत्तर-101-जेल-03-समस्त कारागार के मानक मद-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा तथा उपलब्ध प्राविधान के सापेक्ष वहन किया जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ई-12-251/दस-2014-01/2014, दिनांक 13-08-2014 में दिये गये निर्देशो के अधीन जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:78/2015/963जेएल(1)/22-3-15-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. जिलाधिकारी, मेरठ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, मरेठ।
4. वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, मेरठ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
6. कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग-4
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।